

फोटो

प्रारूप-8 (संशोधित)

(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

सीट लीविंग बाण्ड एवं ग्रामीण सेवा बाण्ड शपथ पत्र

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

(रु. 500 के नाम जूडिशियल स्टाम्प पर निश्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

(Proforma for whose candidate, who wants to participate in Next Round of Counselling)

1. मै (छात्र/छात्रा का नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी—

इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2. मैंने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 तथा संशोधन दिनांक 19.06.2019, 05.10.2021, 26.07.2022, 10.05.2023, 02.07.2024 को भली भांति पढ़कर समझ लिया हैं।
3. मैंने म.प्र. आयुर्विज्ञान परिशद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2021 भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
4. म०प्र० के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम चरण से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश के समय ग्रामीण सेवा एवं सीट लीविंग बाण्ड का निश्पादन सम्यक रूप से स्टाम्पित भाष्य पत्र पर किया जाना है।

सीट लिविंग बॉण्ड

अ मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूँगा / करूँगी ।

ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्याग पत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बॉण्ड राशि रु0 30,00,000/- (रु0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता / देती हूँ ।

स यह कि, सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगे ।

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

अ—मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूँगी / करूँगा ।

ब— विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) रु0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती / देता हूँ ।

स— अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

अथवा

विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

द— यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

सत्यापन

मैं वचन देता हूँ कि अगले चरण की काउंसलिंग में रिएलोकेट नहीं होने की स्थिति में —

1. ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि का 0.5 प्रतिशत राशि के नान जूडिशियल स्टाम्प पर भापथ पत्र निष्पादित करूँगा।
2. सीट लीविंग बॉण्ड राशि का 0.5 प्रतिशत राशि के नान जूडिशियल स्टाम्प पर भापथ पत्र निष्पादित करूँगा।
3. यह कि ग्रामीण सेवा बाण्ड एवं सीट लीविंग बाण्ड स्टाम्पित भापथ पत्र समय —सीमा में प्रस्तुत ना करने की स्थिति में इस चिकित्सा महाविद्यालय से मेरा प्रवेश अधिशठाता द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नम्बर)

1.

2.

फोटो

प्रारूप—8 (संशोधित)
(अनुसूची—3-11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
ग्रामीण सेवा बाण्ड शपथ पत्र

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये
(₹. 5,000 / - or 2,500/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

1. मै (छात्र/छात्रा का नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी—

इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2. मैंने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 तथा संशोधन दिनांक 19.06.2019, 05.10.2021, 26.07.2022, 10.05.2023, 02.07.2024 को भली भांति पढ़कर समझ लिया हैं।
3. मैंने म.प्र. आयुर्विज्ञान परिशद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2021 भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
4. मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :—

ग्रामीण सेवा बाण्ड

अ—मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरातं शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।

ब— विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को ₹0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) ₹0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।

स— अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

अथवा

विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

द— यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर ,नाम, पता, मोबाइल नम्बर)

1.

2.

फोटो

प्रारूप-8 (संशोधित)
(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
सीट लीविंग बाण्ड शपथ पत्र

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)
(रु. 15,000/- के नाम जूडिशियल स्टाम्प पर निश्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

1. मै (छात्र/छात्रा का नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी—

इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2. मैंने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 तथा संशोधन दिनांक 19.06.2019, 05.10.2021, 26.07.2022, 10.05.2023, 02.07.2024 को भली भांति पढ़कर समझ लिया हूँ।
3. मैंने म.प्र. आयुर्विज्ञान परिशद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2021 भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
4. मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :—

सीट लिविंग बॉण्ड

अ मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूँगा/करूँगी।

ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्याग पत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि रु0 30,00,000/- (रु0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता / देती हूँ।

स यह कि, सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नम्बर)

1.

2.